न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 70/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/110

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.नारायणराम पुत्र राजूराम 2.धुड़ीदेवी पत्नी भूराराम 3.लाछीदेवी पत्नी कुम्भाराम जाति जाट निवासी अकदड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.नन्दराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु 2.कानाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट 3.भूराराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी दूधवा तहसील पचपदरा 4.नेमाराम पुत्र सूरताराम जाति मेगवाल निवासी बड़ला तहसील पचपदरा 5.कानाराम पुत्र मोहनराम जाति भील 6.तीजोदेवी पत्नी मोहनराम जाति भील निवासी रूपादेवी दूधवा तहसील पचपदरा 7.नाजीदेवी पत्नी पदमाराम जाति जाट 8.भैराराम पुत्र जेठाराम जाति जाट 9.ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम जाति सोनार 10.धमाराम पुत्र जोगाराम जाति सोनार 11.लाली पत्नी जोगाराम जाति सोनार निवासी रूपादेवी दूधवा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 12.07.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 428/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 428/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 428/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 428/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरता से अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। निर्विवादित रूप से ग्राम दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 428/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सह–खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सह–खातेदार है,और

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:58:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रिकार्डड सहखातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकें प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होतें है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.01.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 428/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.7.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा